(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 43/2019-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2019

सा.का.नि........ (अ.)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (एतश्मिन पश्चात जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 10 की उप धारा (1) के परन्तुक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 14/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 7 मार्च, 2019 जिसे सा.का.नि. 196 (अ) दिनांक 7 मार्च, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"2क	2202 10 10	वातित जल";

2. यह अधिसूचना 01 अक्तूबर, 2019 से लागू होगी ।

(फाइल संख्या 354/131/2019-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार